

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 25 जनवरी 2012—माघ 5, शक 1933

आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2012

क्र. एफ-5-3-2011-1-उनसठ.—ड्रग्स एण्ड मेजिक रेमेडीज (आब्जेक्शनेबल एडवरटाइजमेंट) एक्ट, 1954 की धारा 8 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश के समस्त राजपत्रित वरिष्ठ औषधि निरीक्षकों, औषधि निरीक्षकों (आयुर्वेद-यूनानी) तथा औषधि निरीक्षकों (होम्योपैथी) को उनके कार्यक्षेत्र में दि ड्रग्स एण्ड मेजिक रेमेडीज (आब्जेक्शनेबल एडवरटाइजमेंट) एक्ट, 1954 की धारा 8 (1), (2) एवं (3) तथा द ड्रग्स एण्ड मेजिक रेमेडीज (आब्जेक्शनेबल एडवरटाइजमेंट) एक्ट, 1955 के नियम 3 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता है. राज्य शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 13-2-08-2-पचपन, भोपाल, दिनांक 06 फरवरी, 2008 को एतद्वारा निरसित करता है.

No. F-5-3-2011-1-LIX.—In exercise of the powers conferred by Section 8 (1) of the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisement) Act, 1954 the Government of Madhya Pradesh authorizes all the Gazetted Senior Drug Inspectors, Drug Inspectors (Ayurved-Unani) and Drug Inspectors (Homoeopathy) of Madhya Pradesh to exercise the powers conferred by Section 8 (1), (2) and (3) of the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisement) Act, 1954 and rule 3 of the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisement) Act, 1955. The State Government hereby cancels the Notification No. F-13-2-08-2-LV, dated 6th February, 2008 of Medical Education Department.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रतिभा ढोरे, अवर सचिव.